

कार्यालय सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भोपाल

क्रमांक/13922/

भोपाल, दिनांक 18/10/18

// सूचना //

समस्त बस संचालकों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के डब्लूपी नम्बर 22904/18 में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2018 के पालन में निम्नलिखित स्थायी अनुज्ञा पत्र प्रतिहस्ताक्षर आवेदन पत्रों की सुनवाई दिनांक 29.10.2018 को किया जाना नियत है। सर्व संबंधित उक्त दिनांक को दोपहर 12.00 बजे सचिव क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल के कक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन करें।

01	ब्रजमोहन राठी	स्थायी परमिट क्रमांक एससीपी 01/एफ/2018 मार्ग इंदौर से इटारसी व्हाया कन्नोद, खातेगांव, नसरुल्लागंज, होशंगाबाद एवं वापस पर एक एकल फेरा प्रतिदिन का प्रतिहस्ताक्षर किये जाने बाबत	MP09 FA96 64	45+1	2015	इंदौर 09.25 15.22	कन्नोद 11.50 12.00 13.02 12.52	खातेगांव 12.25 12.30 12.22 12.20	नसरुल्ला गंज 13.40 13.45 10.45 10.40	होशंगाबाद 15.05 15.10 09.20 09.15	इटारसी 15.35 08.50
02	युगल किशोर राठौर	स्थायी परमिट क्रमांक एससीपी 02/एफ/2018 मार्ग इटारसी से इंदौर व्हाया होशंगाबाद, नसरुल्लागंज, खातेगांव, कन्नोद, एवं वापस पर एक एकल फेरा प्रतिदिन का प्रतिहस्ताक्षर किये जाने बाबत	MP09 FA97 64	45+1	2015	इटारसी 08.50 15.35	होशंगाबाद 09.15 09.20 15.10 15.05	नसरुल्लागंज 10.40 10.45 13.45 13.40	खातेगांव 12.20 12.22 12.30 12.25	कन्नोद 12.52 13.02 12.00 11.50	इंदौर 15.22 09.25

पृ. क्रमांक /

प्रतिलिपि

1. याचिकाकर्ता युगल किशोर राठी, 25 रतनदीप टावर नियर नवलक्खा बस स्टेण्ड इंदौर को सूचित किया जाता है कि नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें।
2. श्री राजेश शर्मा स्मार्ट कार्ड शखा प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना का प्रकाशन विभागीय वेबसाईड पर करना सुनिश्चित करें।

SECRETARY
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
BHOPAL
भोपाल, दिनांक
18/10/18

SECRETARY
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
Regional Transport Authority
भोपाल